



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खंड (ii)  
PART II—Section 3 Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITYसं० 63 ]  
No. 63 ]नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 1997/माघ 11, 1918  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 1997/MAGHA 11, 1918

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1997

का. आ. 73 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा तटीय आयामों को तटीय विनियमन इलाकों के रूप में घोषित किया था और उक्त इलाकों में उद्योग, संक्रियाएं और प्रक्रियाएं स्थापित करने और उनके विस्तार पर प्रतिबन्ध अधिरोपित किए थे;

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन संघ राज्यक्षेत्र में केन्द्रीय सरकार का ध्यान स्थानीय जनता द्वारा अनुभव की जा रही उन कठिनाइयों की ओर आकृष्ट किया था जो उक्त क्षेत्र में तटीय विनियमन इलाके में भूमिगत जल के निकालने पर प्रतिबन्ध और बालू के खनन पर प्रतिषेध के कारण उत्पन्न हुई हैं;

इन विषयों की परीक्षा भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की गई है और इस विषय में विशेषज्ञों का मत अभिप्राय किया गया है; केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन किया जाए;

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) का उपनियम (4) यह उपबन्ध करता है कि उपनियम (3) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, जब भी केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि ऐसा करना लोक हित में है, वह उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा का त्याग कर सकती है।

केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करने के लिए नियम 5 के उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा का त्याग किया जाना लोक हित में है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (v) और उपधारा (1) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

2. उक्त अधिसूचना में—

(1) पैरा 2 में,—

(क) उप पैरा (ix) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह कि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह संघराज्य क्षेत्र में, यदि जल का कोई अन्य स्रोत उपलब्ध न हो तो सचिव, पर्यावरण विभाग, अन्दमान और निकोबार प्रशासन के अनुमोदन से प्रत्येक मामले के आधार पर उच्च प्थार रेखा से 50 से 200 मीटर के भीतर स्थानीय निवासियों द्वारा केवल पीने के प्रयोजनार्थ विशेष स्थलों से भूमिगत जल का निकाला जाना अनुज्ञात किया जा सकता है।”

(ख) उप पैरा (x) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह कि अन्दमान और निकोबार समूह संघ राज्य क्षेत्र में कमेटी द्वारा बालू का खनन अनुज्ञात किया जा सकता है। कमेटी, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल द्वारा गठित की जाएगी और इसमें मुख्य सचिव, सचिव, पर्यावरण विभाग, सचिव, जल संसाधन विभाग और सचिव, लोक निर्माण विभाग होंगे। कमेटी, अनिम्नीकृत क्षेत्रों से चयनित स्थलों से सन्निर्माण के प्रयोजन के लिए विनियमित रीति से प्रत्येक मामले के आधार पर, 31 मार्च, 1998 तक की अवधि के लिए बालू का खनन अनुज्ञात कर सकती है। खनन किए गए बालू की मात्रा, निर्माण कार्यों के पूरे किए जाने की अनिवार्य अपेक्षा से अधिक नहीं होगी, जिसमें 1997-98 वार्षिक योजनाओं और चालू वर्ष से संबंधित निवास एकक और दुकानें भी हैं। बालू के खनन की अनुज्ञा ऐसे स्थलों से खनन योजना के आधार पर और ऐसी मात्रा में दी जाएगी जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।”

(2) उक्त अधिसूचना में, उपाबन्ध-1 में, शीर्षक “सी आर जैड-iv अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में मद (iv) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(iv) (क) पुलीनों और तटीय जलों से मृगे सन्निर्माण और अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किए जाएंगे;

(ख) पुलीनों और तटीय जलों से बालू केवल सन्निर्माण के प्रयोजनों के लिए 31 मार्च, 1998 तक उपयोग किया जा सकता है और तत्पश्चात् वह सन्निर्माण और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।”

[जेड-12011/2/96-आईए-III]

आर. एच. खन्नाजा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 1997

**S.O. 73(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No. S.O. 114 (E), dated the 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification) Central Government declared Coastal Stretches as Coastal Regulation Zones and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zones;

And whereas the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands Administration had drawn attention of the Central Government to the difficulties being faced by the local people due to restrictions on withdrawal of ground water and prohibition of mining of sand in the Coastal Regulation Zone in the said territory;

And whereas these issues have been examined by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests and obtained the views of experts in the matter;

And whereas the Central Government is of the opinion that the said notification should be amended;

And whereas sub-rule 4 of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, “Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3);

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) sub-rule (3) of rule 5 for amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of the section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the aforesaid notification:—

2. In the said notification—

(1) In paragraph 2, —

(a) in sub-paragraph (ix), the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

“Provided that in the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands, drawal of ground water can be permitted from specific sites, if no other source of water is available and when done manually through ordinary wells or hand pumps, with the approval of Secretary, Department of Environment, Andaman and Nicobar Administration on a case to case basis, within 50 to 200m from High Tide Line for local inhabitants for drinking purposes only.”

(b) in sub-paragraph (x), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that in the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands, mining of sands may be permitted by the Committee which shall be constituted by the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands consisting of Chief Secretary; Department of Environment; Secretary, Department of Water Resources; and Secretary Public Works Department. Committee may permit mining of sand from non-degraded areas for construction purposes from selected sites, in a regulated manner on a case to case basis, for a period upto the 31st day of March, 1998. The quantity of sand mined shall not exceed the essential requirements for completion of construction works including dwelling units, shops in respect of current year and 1997-98 annual plans. The permission of mining of sand may be given on the basis of a mining plan from such sites and in such quantity which shall not have adverse impacts on the environment.”

(2) In the said notification, in Annexure-I, in heading CRZ-IV Andaman & Nicobar Islands for item (iv), the following shall be substituted, namely:—

“(iv) (a) Corals from the beaches and coastal waters shall not be used for construction and other purposes;

(b) sand may be used from the beaches and coastal waters, only for construction purpose upto the 31st day of March, 1998 and thereafter it shall not be used for construction and other purposes.”

[Z-12011/2/96-IA-III]

R. H. KHWAJA, Jt. Secy.

